कच्ची अफीम की उनकी अन्तर्ग्रहण क्षमताओं के आधार पर, भेजी जाती है । नीमच का कारखाने की अन्तर्ग्रहण क्षमता सीमित होने से, गाजीपुर कारखाने को उत्तर प्रदेश की सारी उपज के अतिरिक्त राजस्थान की उपज की बहुत बड़ी मात्रा और कभी-कभी मध्य प्रदेश की उपज का एक हिस्सा भेजा जाता है ।

——

12 hrs.

RE ALLEGED MISREPORTING OF PROCEEDINGS OF THE HOUSE ON INDIDENT AT BAGHPAT AND OTHER MATTERS

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, कल जो "बागपत में पुलिस जुल्म" के सवाल पर लोक सभा में मामला उठा था और आप ने जो लोक सभा को विश्वास दिलाया था और मेरी तरफ से तथा पासवान जी की तरफ से जो आप को विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया था, उस के बारे में अखबारों में गलत छपा है । जैसे मेरे बारे में "तेज" अखबार में छपा है——उस की हैड-लाइन्ज में दिया है——

> "बागपत में पुलिस मैनों के हाथों औरत को सरे-बाजार बरहना करने और आबरू रेजी का वाक्या । पार्लियामेन्ट के दोनों एवानों में हंगामा । वजीरे-दाखला ज्ञानी जैल सिंह खुद जांच करेंगे ।"

मुझे यह तो नहीं कहना है कि वजीरे दाखला की जांच हो या लोक सभा की हो, इस के बारे में तो जब चर्चा चलेगी तब देखेंगे । लेकिन इस में आगे चल कर यह दिया गया है——"मणिराम बागड़ी, लोक दल के मैम्बर की भी पुलिस ने पिटाई की है ।" ऐसा और अखबारों में भी जुड़ा है । मुझे ऐतराज इस पर भी है——मैं इसको भी गलत रिपोर्टिंग मानता हूं कि एक मिनिस्टर का वाक्य और लोक सभा के अध्यक्ष का जो वाक्य है——उस में फर्क है । लोक सभा में जो सवाल उठा था, उस पर आप ने लोक सभा को विश्वास दिलाया था और वह समस्त भारत की बात थी, पार्टी से ऊंची बात थी, जिस में आप ने सारे राष्ट्र को विश्वास दिलाया था, उसको हैडलाइन्ज में लाना चाहिये था, लेकिन अखबारवालों ने सरकार के मंत्री की बात को छापा । असल में जनतन्त्र की बात अखबार वाले समझ नहीं पाते हैं । मेरा निवेदन है कि अखबार वालों की इस तरह की खबरें छापने में शुद्धि कीजिये, इससे गलतफहमी फैलती है, झगड़े भी बढ़ते हैं । मैं मौके पर नहीं गया था, मौके पर जयपाल सिंह और पासवान जी गये थे...

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसको देखा है, चैक भी किया है । उसका इन्फरेंस उन्होंने गलत निकाला है । मैं चाहूंगा कि प्रेस आइन्दा ठीक रिपोर्टिंग करे जिस से कोई भ्रम पैदा न हो । मुझे एक और शिकायत भी मिली है——श्री नारायण चौबे ने शिकायत की है कि वह सी. पी. (एम) के नहीं हैं, सी. पी. (आई) के हैं, लेकिन रेडियो उनको सी. पी. (एम)——सी. पी (एम) कर के बोलता है । यह बात भ्रमात्मक है, यह नहीं होना चाहिये । मैं रेडियो और प्रेस दोनों से कहूंगा कि वे आब्जैक्टिव और करैक्ट प्रचार करें ।

श्री मनीराम बागड़ी: आप कल के अखबारों को और कल की प्रोसीडिंग्ज को मंगा कर देख लें । ऐसा लगता है जैसे लोक सभा चल ही नहीं रही है । हैड-लाइन्ज राज्य सभा की, कारगुजारियां राज्य सभा की, हैड-लाइन्ज ज्ञानी जैल सिंह की, नीचे सिर्फ दो हर्फ हैं कि स्पीकर ने लोक सभा को विश्वास दिलाया । जैसे लोक सभा कुछ भी नहीं है । बरतानिया के अन्दर हाउस आफ लार्ड्स और हाउस आफ कामन्ज होते हैं, लेकिन हमारी लोक सभा जनता की प्रतीक है। यह सुप्रीम है, इस के फैसले का समस्त भारत में प्रचार होना चाहिये । लेकिन न मालूम ये अखबारवाले कहां ज्ञानी जैल सिंह से फंस गये हैं, जैल सिंह के ऊपर कुछ नजर ही नहीं आता है ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझ को भी दो शब्द कहने हैं——पहली बात तो यह कि आप विगत एक सप्ताह के रेडियो बुलेटिन्ज मंगा कर देखें। लोक सभा में जो इम्पार्टेन्ट कार्यवाही होती है उन के बारे में रेडियो के मुख्य समाचार जो रात को पौने नौ बजे और सवेरे 8 बजे प्रसारित होते हैं, उन में कहीं कोई चर्चा नहीं होती है । कल मेरा कालिंग-एटेन्शन

था और सरकार ने जो इतना बड़ा निर्णय लिया था कि "माइन्ज सेफटी बोर्ड" की स्थापना करने जा रहे हैं--उस की कोई चर्चा न रात के हिन्दी अथवा अंग्रेजी बुलेटिन में और न सुबह के बुलेटिन में की गई है ।

प्रिवलेज के सम्बन्ध में आप ने रूलिंग दिया था कि आप होम-मिनिस्ट्री को डायरैक्ट कर रहे हैं, उन के द्वारा उस की जांच करवायेंगे--इस की न्यूज क्यों नहीं आई? मैं जानता हूं यह दुख का समय है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सरकार द्वारा जो इम्पार्टेन्ट घोषणा लोक सभा के सदन में की जाती है, जैसे मेरे काल-एटेन्शन के बारे में थी, उस की न्यूज न निकाली जाय, उस को सप्रेस किया जाय--मैं समझता हूं यह पार्लियामेन्ट का अपमान है, संसद का अपमान है, इस को निश्चित रूप से देखना चाहिये ।

दूसरी बात--19 जून को हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री श्री शंकरानन्द जी के खिलाफ प्रिवलेज का मोशन दिया था, जिस में उन्होंने कहा था कि 5 जून को.....

अध्यक्ष महोदय : वह आप के सामने आयेगा ।

श्री रामविलास पासवान : आप ने कहा था कि इस सम्बन्ध में आप शीघ्र ही निर्णय देंगे ।

अध्यक्ष महोदय: वह आ रहा है, आप को भेजेंगे ।

श्री रामविलास पासवान : यह तो दिल्ली का मामला है और पूरी एवीडेंस है, इसलिए हाउस को इस के बारे में सूचित करें ।

अध्यक्ष महोदय: यह हो जाएगा।

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum : I want to make a submission to your Honour....

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Very polite Sir.

MR. SPEAKER: Yes, today he is very polite.

SHRI NIREN GHOSH: I have been feeling for a pretty long time that the other House is being able to get important issues taken up in a big way and our House is not able to do that....

MR. SPEAKER: Why not? I do not agree. We have taken up more correctly.

SHRI NIREN GHOSH: No, no. Let me put it together.

MR. SPEAKER: We are not going to suppress. Under the rules I am not going to suppress any discussion in the House. I am going to uphold the dignity and the freedom of this House— to whatever extent it may be possible.

SHRI NIREN GHOSH: In response to my privilege motion against Minister for Agriculture you directed that it should be brought under direction 115. I have made a submission to you. I seek your direction as to when it will be taken up.

MR. SPEAKER: Yes, we will take it up.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): With your permission, Sir, if you kindly permit me three minutes, I will put the facts regarding the Baghpat incident.

MR. SPEAKER: No, please. When it comes up, you may put them up. The inquiry is on. I have talked to the Ministry. Let the Ministry come first.

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है अन्डर रूल 376 । मैंने कालिंग एटेंशन का एक नोटिस दिया था कि गांधी नगर के अन्दर जो पीने का पानी नलकों के जरिये पिलाया जाता है स्कूल के विद्यार्थियों को और सारी दिल्ली के दूसरे लोगों को, वह गन्दा पानी होता है...

MR. SPEAKER: You have to give it in writing. The Health Ministry should take note of this. This is very serious. But you must give under writing a notice to me. I have asked the Ministry to take note of it..... Yes, you are right.

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आप मुझे पूरी बात कहने दें ताकि अखबार वाले

सुनें और उन को पता लगे कि जनता गन्दा पानी पीने से बीमार होती है ।

MR. SPEAKER: I have noted it. This is very serious. I am asking the Health Ministry to take note of it.

श्री राम विलास पासवान : यह एक दिन का मामला नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि एक रेलवे स्टेशन के पास जो टंकी थी, उस में एक लाश मिली और उस पानी को लोगों ने पिया । . . . **(व्यवधान)**. . . लाखों लोगों ने उस पानी को पिया है ।

MR. SPEAKER: I have asked the Home Ministry to go into it. I know this is a very urgent problem for the public health.

श्री राम विलास पासवान : पहले एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : सुन ली आप की बात । पानी के मुताबिक आप की बात है।

श्री राम विलास पासवान : पानी के मुताबिक ही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन के बगल में पानी की टंकी में एक आदमी की लाश मिली और उस पानी को लाखों लोगों ने पिया है ।

MR. SPEAKER: You give me a full statement giving all the facts.

श्री राम विलास पासवान: हम लोगों ने कालिंग एटेंशन का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय: कब दिया है?

श्री राम विलास पासवान : आज से पांच दिन पहले दिया है । यह 9 तारीख का मामला है। इस पर कालिंग एटेंशन का नोटिस दिया है । यह एक गंभीर मामला है और इस की जांच होनी चाहिए ।

MR. SPEAKER: Now, papers to be laid.

—

12.09 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER AIRCRAFT ACT, ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS OF INTERNATIONAL AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA, ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): On behalf of Shri A. P. Sharma, I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 14A of the Aircraft Act, 1934:—

(i) The Aircraft (Third Amendment) Rules, 1980, published in Notification No. GSR 537 in Gazette of India dated the 10th May, 1980 together with an explanatory note.

(ii) The Aircraft (Fourth Amendment) Rules, 1980, published in Notification No. GSR 578 in Gazette of India dated the 24th May, 1980 together with an explanatory note.

[Placed in Library. *See* No. LT-954|80].

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Airports Authority of India for the year 1978-79, under sub-section (2) of section 25 of the International Airports Authority Act, 1971.

(3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the International Airports Authority of India for the year ended 31st March, 1979 together with Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 24 of the International Airports Authority Act, 1971.

(4) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the performance of International Airports Authority of India for the year 1978-79.

(5) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Annual Report and Accounts of the International Airports Authority of India, for the year 1978-79, mentioned at item (2) and (3) above.